PAGE NO.:
DATE: / /

सेमेस्टर - स्नातकोत्तर प्रथम
विषय - अपकृत्य विधि (Law of Tort)
अध्याय - यूनिट I
डा० गिरिजा पाण्डे (प्रवक्ता)
लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

अपकृत्य की परिभाषा :- (Definition of Tort)

अपकृत्य विधि की कोई सुनिश्चित तथा वैज्ञानिक परिभाषा देना कठिन है अनेक विद्वानों ने अपकृत्य विधि की परिभाषा देने का प्रयास किया है किन्तु किसी भी परिभाषा में अपकृत्य के सभी तत्वो का समावेश नही हो पाया है।

सामण्ड के अनुसार अपकृत्य की परिभाषा :-

"अपकृत्य एक सिविल अपकार है" जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यासभंग अथवा अन्य किसी प्रकार का साम्यिक दायित्व नही है।

सामण्ड की परिभाषा के अनुसार अपकृत्य विधि के निम्नलिखित तत्व है :-

(i) अपकृत्य एक सिविल दोष है।
(ii) इसका उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है
(iii) यह संविदा-भंग, न्यास-भंग या साम्यिक आभारो से भिन्न है।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

PAGE NO.:
DATE: / /

विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य की परिभाषा :-

अपकृत्यात्मक दायित्व मूलतः विधि द्वारा नियत कर्तव्यभंग से उत्पन्न होता है यह कर्तव्य सामान्यतः जनवर्ग के प्रति होता है और इसके भंग होने पर वाद द्वारा अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है।

विनफील्ड की परिभाषा के अनुसार अपकृत्य विधि के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है —

(i) अपकृत्यात्मक दायित्व कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है.

(ii) जिसमे अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है

(iii) इसमे मूलतः विधि द्वारा नियत कर्तव्य के भंगीकरण से दायित्व उत्पन्न होता है, तथा वह कर्तव्य, जिसके भंगीकरण से दायित्व उत्पन्न होता है. सामान्यतः जनवर्ग के प्रति होता है

⇒ इस परिभाषा के अनुसार अपकृत्यात्मक दायित्व कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जिससे स्पष्ट है कि अपकृत्य एक अपकार है, क्योंकि इसमें कर्तव्यभंग से अनिर्धारित नुकसानी का उपचार प्राप्त किया जा सकता है यह एक 'सिविल अपकार' है नुकसानी का उपचार केवल सिविल अपकार में ही उपलब्ध होता है यदि अपकार आपराधिक हो तो अभियोजन के द्वारा किया जाता है।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

PAGE NO.:
DATE: / /

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 2(एम)

के अनुसार अपकृत्य की परिभाषा :-

अपकृत्य एक ऐसा सिविल अपकार है जो केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग नहीं है

परिसीमा अधिनियम की परिभाषा के अनुसार

अपकृत्य के आवश्यक तत्व :-

(i) अपकृत्य एक सिविल अपकार है न कि आपराधिक अपकार।

(ii) यह केवल संविदा भंग अथवा न्यास भंग से भिन्न अपकार है।

7 PRO

अपकृत्य की प्रकृति (Nature of Tort)

'टार्ट' (Tort) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'टार्टम' (Tortum) शब्द से हुई है। टार्टम शब्द का अर्थ तोड़ना - मरोड़ना है। टार्ट शब्द अंग्रेजी के (Wrong) शब्द अर्थात दोष या अपकार का समानार्थी है। किसी व्यक्ति की ख्याति को क्षति करना अर्थात मानहानि, हमला, संप्रहार, छल, उपेक्षा अपकृत्य के कुछ उदाहरण है। इन अपकृत्यों से अपकारी व्यक्ति दूसरों मे निहित कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो दूसरे व्यक्ति में निहित अधिकार का उल्लंघन होता है। अपकृत्य एक सिविल अपकारों की कोटि मे आता है जो अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही द्वारा प्रतिपोषित किया जा सकता है और जो मात्र संविदा भंग अथवा न्यास-भंग से भिन्न है।

PAGE NO.:
DATE: / /

इंग्लैण्ड में अपकृत्य विधि का विकास :-

इंग्लैण्ड में नार्मन विजय 1066 ए०डी० के समय में अंग्रेजी विधि की प्रणाली अनिश्चित एवं अविकसित थी।

सर हेनरी मेन के अनुसार :- " आदिम समुदायों की दण्ड विधि आपराधिक विधि न होकर दोषों या अपकृत्यों की विधि थी "

लेकिन नार्मन विजय के पश्चात हेनरी द्वितीय के कार्यकाल में किंग्स न्यायालय स्थापित किए गए जिसमें 13वी शताब्दी में अतिचार की रिट (Writ of Trespass) प्रारम्भ की गई जो सिविल मामलों में हर्जानी एवं आपराधिक मामलों में दण्डादेश जारी करने लगी।

इंग्लैण्ड में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852 एवं जुडीकेचर एक्ट 1873 के पारित होने के पहले कॉमन लॉ न्यायालयों में कार्यवाही एक्शन (Action) कहलाती थी। एक्शन की सफलता उपलब्ध रिट के आधार पर थी. अर्थात यदि रिट उपलब्ध नहीं होती तो 'एक्शन' असफल हो जाता था अन्यथा वह कितना भी न्यायोचित क्यों न हो।

REDMI NOTE 7 PRO
I DUAL CAMERA

PAGE NO.:
DATE: / /

इंग्लैण्ड के प्रारम्भ मे "जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है" की विधि थी। बाद मे स्थिति बदल गई अब विधि का आधार इस परिकल्पना पर है कि "जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है"। अर्थात जबकि किसी विधिपूर्ण अधिकार का उल्लंघन होता है उसके लिए न्यायालय उपचार प्रदान करता है।

कालान्तर मे कामन ला न्यायालयों न्यायालयों ने 'केस' के मामलों मे नये प्रकार दोषो जैसे मानहानि, उपताप, धोखा, सम्पहरिवर्तन आदि मे उपाय उपलब्ध कराये। रेशावी बनाम व्हाइट के मामले मे अपकृत्य के विकास को महत्वपूर्ण दिशा मिली और यह घोषित किया गया कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारो का अतिक्रमण हुआ है तो उसे उपचार मिलना ही चाहिए।

आज भी कामन ला न्यायालय उन क्षेत्रों मे जहाँ इंग्लैण्ड की संसद ने कोई अधिनियम पारित नही किया है, न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का अनुसरण कर निर्णय करती है।

PAGE NO.:
DATE: / /

भारत मे अपकृत्य विधि का विकास :-

भारतीय अपकृत्य विधि का आधार इंग्लैण्ड की अपकृत्य विधि है। भारत में अपकृत्य विधि का आरम्भ अंग्रेजो ने किया था। सर्वप्रथम 1726 के राजपत्र द्वारा भारत के तीन प्रेसीडेन्सी नगरो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास मे आंग्ल न्यायालयो की स्थापना की गयी। और राजपत्र मे स्पष्ट कर दिया गया था कि ये न्यायालय इंग्लैण्ड की सामान्य विधि (कामनला) और अधिनियमित विधि जहाँ तक कि वे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हों लागू करेंगे।

भारत मे अपकृत्य विधि के विकास की प्रक्रिया काफी देर से प्रारम्भ हुई। भारत मे इस विधि का विकास औद्योगीकरण तथा आधुनिक जीवन के वैज्ञानीकरण की प्रक्रिया के साथ प्रारम्भ हुआ। अब भारतीय भी इस विधि पर आधारित अधिकारो के विषय मे जागरूक होते जा रहे है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आप को कुछ ऐसे निर्णयों से आवश्यक रूप से बाधित नहीं माना जो कि किसी अन्य सन्दर्भ मे दिये गये है। और वर्तमान परिस्थितियो के अनुकूल नही है।

जैसे एम० सी० मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया (श्रीरामकृष्णन 1987 एस०सी० 1086) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने

PAGE NO.:
DATE: / /

रायलैण्ड्स बनाम फ्लैचर (1868 स्टाण्डार्ड-3) में प्रतिपादित कठोर दायित्व के सिद्धान्त को अमान्य कर दिया और पूर्ण दायित्व का नया सिद्धान्त विकसित किया।

न्यायालय ने एन्जियन कौंसिल फार एनवायरो लीगल ऐक्शन बनाम यूनियन आफ इण्डिया मे पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति में भी एम०सी० मेहता के वाद मे विकसित पूर्ण दायित्व के सिद्धान्त को लागू किया।

भारत मे अपकृत्य विधि का विकास अपेक्षाकृत धीमा है और इसकी तुलना इंग्लैण्ड से नही की जा सकती लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र जैसे चिकित्सीय अवदायित्व या उपेक्षा मे तीव्र गति से विधि का विकास हो रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित होने के बाद सेवा दोष सम्बन्धी दावों में निरन्तर वृद्धि हुई है।

एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ के निर्णय से भारतीय न्यायव्यवस्था ने अपनी क्षमता व योग्यता को एक बार फिर प्रतिस्थापित किया है तथा अपना विधिशास्त्र स्वयं निर्मित कर अपकृत्य विधि के भारत मे विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

PAGE NO.:
DATE: / /

अपकृत्य के आवश्यक तत्व :-

(1) कार्य अथवा लोप (Act or omission)

(2) विधिक क्षति (Legal Damages)

(3) विधिक उपचार का अधिकार (Legal remedy)

(1) कार्य अथवा लोप :- (Act or omission)

अपकृत्य के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवादी द्वारा कोई ऐसा कार्य या लोप हुआ हो जिससे वादी के किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन हुआ हो। प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य दोषपूर्ण माना गया हो, यदि कोई नैतिक अथवा सामाजिक अपकार घटित हुआ है तो उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं हो सकता।

(2) विधिक क्षति :- (Legal Damages)

अपकृत्य के किसी कार्यवाही में सफल होने के लिए वादी को विधिक क्षति भी साबित करनी पड़ती है। जब तक किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता तब तक अपकृत्य विधि के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन होता है तो वह कार्यवादी के लोप होते हैं।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

PAGE NO.:
DATE: / /

इसे निम्नलिखित दो शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है :—

(1) बिना हानि के क्षति :- (Injuria sine damno)

(2) बिना क्षति के हानि (Damnum sine Injuria)

(1) बिना हानि के क्षति :- (Injuria sine damno)

बिना हानि के क्षति का तात्पर्य है वादी को विधिक क्षति हुई है अर्थात इसमे निहित किसी विधिक अधिकार का अतिलंघन हुआ है, किन्तु चाहे उसको कोई हानि कारित न हुई हो वह फिर भी प्रतिवादी के विरुद्ध वाद ला सकता है।

⇒ अधिकारो को दो श्रेणियो मे बाँटा जा सकता है

(i) विशुद्ध अधिकार - (Absolute Right)
(ii) विशेषित अधिकार (Qualified Right)

(i) विशुद्ध अधिकार :- (Absolute Right)

यह ऐसा अधिकार है जिनका अतिलंघन मात्र ही अपने आप मे वाद योग्य है। इसमे वादी को यह साबित करने की आवश्यकता नही पड़ती कि उसे किसी प्रकार की हानि हुई है

(ii) विशेषित अधिकार :- (Qualified Right)

इसमे अधिकार का अतिलंघन स्वयं अपने आप

PAGE NO.:
DATE: / /

मे वाद योग्य नही होता है। यह केवल तभी वाद योग्य होता है जब यह साबित कर दिया जाए कि वादी को वास्तविक हानि हुई हो।

Case - रेशबी बनाम हस्ट (1703) 2 रेमण्ड . 938.

के मामले मे प्रतिवादी ने जो एक संसदीय चुनाव मे चुनाव अधिकारी था. दोषपूर्ण ढंग से वादी का मत लेना अस्वीकार कर दिया. वादी को इस अस्वीकृति से कोई क्षति नही उठानी पड़ी थी क्योंकि वह उम्मीदवार जीत गया था जिसको वह अपना मत देना चाहता था. प्रतिवादी अपराधी ठहराया गया।

Case. म्युनिसिपल बोर्ड आगरा बनाम उराकीलाल :
(1961) I. आई. ऐलाहाबाद 492

के मामले मे वादी एक वैध मतदाता के रूप मे मतदाता सूची मे अपना नाम शामिल किये जाने का हकदार था किन्तु उसका नाम अवैध रूप से मतदाता सूची मे शामिल नही किया गया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उसे विधिक क्षति हुई है, और वह वह इसके लिए नुकसानी पाने का हकदार है।

PAGE NO.:
DATE: / /

Case. काली किशोर बैरोर बनाम जदु लाल मलिक :-
(1878) 6 आई०एल०, 190 (पीएलि०)

के मामले मे प्रिवी कौंसिल ने यह अवलोकन किया है कि यदि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो उसे नुकसानी का दावा करने का अधिकार है, चाहे उसे कोई वास्तविक हानि हुई हो या नही।

(2) बिना क्षति के हानि - (Damnum Sine Injuria)

'Damnum Sine Injuria' (Damage without Injury) का तात्पर्य बिना क्षति के हानि अर्थात विधिक अधिकारों के अतिक्रमण के बिना होती है।

⇒ विधिक अधिकार के उल्लंघन के बिना जो हानि होती है वह चाहे कितनी ही अधिक क्यो न हो अपकृत्य मे अनुयोज्य नही होती है.

Case.
(a) ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल का मामला :-

यहाँ प्रतिवादी ने वादी के स्कूल के निकट

EDMI NOTE 7 PRO

PAGE NO.:
DATE: / /

इसका स्कूल खोलकर केवल निषिद्ध क्रियाओं का प्रयोग किया था जिससे हुई हानि के लिए वादी उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है।

(ii). मुगल स्टीमशिप कम्पनी बनाम मैकेगर :-

अनेको पोत कम्पनियों ने संयुक्त रूप से जहाजों द्वारा भेजे जाने वाले माल के भाड़े मे कमी कर दी। माल भाड़े की दर से कमी करने का मुख्य उद्देश्य वादी को चीन के चाय परिवहन व्यापार क्षेत्र से निकाल देना था. हाउस आफ लार्डस ने घोषित किया कि वादी के पास कार्यवाही करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि प्रतिवादियों ने अपने व्यापार के संरक्षण तथा विस्तार के लिए वैधपूर्ण रीति से कार्य किया।

(iii) उषाबेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर :-

वादी ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि रंगचलचित्र ने वादी की धार्मिक भावना को चोट पहुँचायी है, क्योंकि उसमे सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को ईर्ष्यालु बताया गया है तथा उनका उपहास किया गया है। यह घोषित किया गया कि किसी की धार्मिक भावना को चोट पहुँचाना अनिवार्य अपकार के रूप मे मान्यकृत नहीं है।

PAGE NO.:
DATE: / /

(iv) टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल :-

इस वाद मे यह स्थिर प्रतिपादित किया गया कि यदि व्यक्ति वैधतः किसी भवन का निर्माण करता है, तो नगरपालिका के प्राधिकारियों द्वारा ऐसे भवन का ध्वस्त किया जाना सम्पत्ति के स्वामी के विरुद्ध कोई विधिक क्षति कारित नही करता।

(3) विधिक उपचार का अधिकार :-

अपकृत्य दायित्व का तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि दोषपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप वादी को विधिक उपचार पाने का अधिकार होता है, अर्थात उसे नुकसानी का वाद संस्थित करने का अधिकार होता है। यह आवश्यक है कि कार्य सिविल दोष की कोटि मे आता हो और उसके लिए सिविल न्यायालय में कार्यवाही करके नुकसानी पायी जा सकती हो।

PAGE NO.:
DATE: / /

अपकृत्य के मानसिक तत्व :-
(mental Element in Torts)

अपराध विधि का एक महत्वपूर्ण सूत्र है।
"Actus Non Facit Reum Nisi mens Sit Rea"

अर्थात स्वयं किसी कृत्य से दोष की उत्पत्ति नहीं होती वरन कृत्य के साथ आपराधिक मनःस्थिति का सहयोग होना आवश्यक है, जिसके प्रेरणा से अपराध किये जाते हैं किसी भी दोषपूर्ण कार्य के करने में मनुष्य के मन की तीन स्थितियों का गम्भीरता से विचार किया जाता है जो निम्नलिखित हैं —

(i) हेतु (motive)
(ii) इरादा (आशय) (Intention)
(iii) विद्वेष (malice)

(1) हेतु (Motive) :-

हेतु वह मानसिक स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने की प्रेरणा देती है। कोई भी दोषपूर्ण कार्य किसी प्रेरणा का परिणाम होता है, जिसकी पूर्ति वह उस दोषपूर्ण कार्य के माध्यम से करना चाहता है या करता है।
सामान्य इसे 'दूर का आशय' कहते हैं।

PAGE NO.:
DATE: / /

⇒ हेतु का महत्व अपराध के मामले में ही होता है। अपकृत्य में इसका कोई महत्व नहीं है। अपकृत्यपूर्ण दायित्व कृत्यों के अनुचित होने पर उत्पन्न होता है। कृत्य किस प्रेरणा या हेतु से किए गये है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई कार्य अपकृत्य है या नहीं इसका निर्धारण करते समय केवल कार्य की प्रकृति पर ही ध्यान दिया जाना चाहिये न कि हेतु की प्रकृति पर।

(iv) आशय : (Intention) (इरादा).

सामण्ड के अनुसार जिस उद्देश्य से किसी कार्य को किया जाता है उसे आशय कहते हैं। इसमें दायित्वात्मक कार्य के परिणामों का पूर्वानुमान होता है जिसको कृत्य द्वारा प्राप्त करने की इच्छा निहित रहती है। कोई कार्य किस आशय से किया गया है, यह जानना कठिन कार्य है, क्योंकि आशय एक मानसिक स्थिति है।

⇒ अपकृत्य विधि में आशय का कोई महत्व नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के किसी कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचती है तो वह अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जायेगा भले ही उसका आशय उस व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाना न रहा हो। अपकृत्य में दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि

PAGE NO.:
DATE: / /

प्रत्येक मनुष्य को अपने किये गये कार्य के स्वाभाविक परिणामों का ज्ञान होता है।

(iii) विद्वेष (malice) :-

सामान्य अर्थ में विद्वेष दुर्भावना से किये गये कार्यों को कहते हैं। किन्तु विधि की दृष्टि में बिना विधिक औचित्य के अनुचित आशय से किये गये कार्य को विद्वेषपूर्ण कार्य कहते हैं।

विद्वेषपूर्ण कार्य करने का तात्पर्य कभी-2 आराम से कार्य करना भी होता है. अर्थात इस ज्ञान के सहित कि कार्य दोषपूर्ण है। कभी-2 इसका तात्पर्य किसी गलत तथा अनुचित हेतु से कार्य करना भी होता है

ब्रोमेज बनाम प्रोजर (Bromage vs Prosser) :

के मामले विद्वेष को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि —

विद्वेषपूर्ण कार्य उसे कहते हैं जहाँ कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना विधिक औचित्य के कोई कार्य करता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचती है।

PAGE NO.:
DATE: / /

⇒ अपकृत्यपूर्ण दायित्व के निर्धारण में सामान्यतया विद्वेष का कोई महत्व नहीं होता है अपकृत्य विधि में साधारणतया यह देखा जाता है कि प्रतिवादी ने कोई अपकृत्य किया है न कि उसने उसे क्यों किया है। संक्षेप में अपकृत्य में दायित्व का निर्धारण कार्य से होता है भावना से नहीं। एक दोषपूर्ण कार्य इसलिए वैध नहीं हो जाता है कि उसे किसी अच्छी भावना से किया गया है इसी प्रकार एक वैध कार्य केवल इसलिए अवैध नहीं हो जाता कि उसे किसी बुरी भावना से किया गया है।

PAGE NO.:
DATE: / /

त्रुटि - (Fault)

सामान्यतया अपकृत्य विधि में दायित्व प्रतिवादी के दोषपूर्ण कार्य से वादी को पहुँची हानि के लिए होता है, चाहे कार्य को उसने किसी भी हेतु अथवा आशय से किया है।

सामण्ड का यह मत है कि - "त्रुटि ही सभी अपकृत्यपूर्ण दायित्व का आधार है"

बिना त्रुटि के दायित्व :- (No fault liability)

कुछ ऐसे मामले होते हैं जहाँ बिना त्रुटि के अपकृत्यपूर्ण दायित्व उत्पन्न होता है जिसे कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व कहते हैं। रैलेण्ड बनाम फ्लेचर के मामले मे प्रतिपादित कठोर दायित्व का सिद्धान्त इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

इस मामले में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु एकत्र करता है उसके पलायन के परिणामस्वरूप होने वाले प्रत्यक्ष परिणामों के लिये वह दायी होगा चाहे वह उपेक्षावान न भी रहा हो।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA

PAGE NO.:
DATE: / /

एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ :-

के मामले मे कहा गया है कि यदि किसी संकटपूर्ण या स्वभाव से खतरनाक क्रियाकलापों मे लगा है तो उस कार्य से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए कठोर या पूर्ण दायित्व होता है।

वर्तमान काल मे ऐसे अनेक कर्तव्य या दायित्व है जो नियोक्ताओं पर अधिनियम द्वारा आरोपित किये जाते है। जैसे - कारखाना अधिनियम कर्मकार प्रतिकर अधिनियम जिसमे त्रुटि (Fault) का तत्व अनुपस्थित रहता है फिर भी वे दोषी ठहराये जाते है।

वर्तमान समय में मोटर दुर्घटनाओं मे हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए "बिना त्रुटि के दायित्व" के सिद्धान्त के आधार पर पीड़ित व्यक्ति और उनके आश्रितो को कुछ प्रतिकर तत्काल देने के उद्देश्य से सम्बन्धित विधि में प्रावधान किए जाने की धारणा का जन्म हुआ है।

भारत मे भी संसद ने मूल मोटर वाहन अधिनियम मे संशोधन करके "बिना त्रुटि के दायित्व" के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान किया है। ऐसे दायित्व को कठोर दायित्व कहा जाता है जिसमें प्रतिवादी बिना किसी त्रुटि के वादी को हुई क्षति के लिए दोषी होता है।

PAGE NO.:
DATE: / /

संयुक्त अपकृत्यकर्ता :- (Joint-Tortfeasors)

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सामूहिक योजना की पूर्ति के आशय से कोई अपकृत्य करते है तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही संयुक्त उद्यम में संलग्न हो और उनमें से एक व्यक्ति उस उद्यम के दौरान और उसके अनुसरण में कोई अपकृत्य करता है तो सारे सम्मस्त व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता माने जायेगे। और समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

ब्रुक बनाम बूल 'ट के वाद मे 'क' और 'ख' 'ग' के परिसर में गैस की लीकेज खोजने के लिए गये थे। इस कार्य मे हर एक ने गैस पाइप की लिकेज की खोज मे खुली रोशनी का प्रयोग किया। 'क' द्वारा जब ऐसा किया जा रहा था, तब रोशनी द्वारा आग पकड़ लेने के कारण एक विस्फोट हो गया, जिससे भवन क्षतिग्रस्त हो गया। इस वाद मे यद्यपि अकेले 'क' के कार्य से विस्फोट हुआ था, परन्तु 'क' और 'ख' दोनो संयुक्त अपकृत्यकर्ता के रूप मे क्षति कारित करने के उत्तरदायी माने गये।

MI NOTE 7 PRO
JAL CAMERA

PAGE NO.:
DATE: / /

→ यदि व्यक्ति आपस में कुछ सम्बन्धों से जुड़े रहते हैं तो वे भी संयुक्त अपकृत्यकर्ता माने जाते हैं।

जैसे — प्रमुख और उसका अभिकर्ता, स्वामी और सेवक और भागीदार फर्म के भागीदार।

संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में नुकसानी की राशि का अंशदान :-

इंग्लैण्ड की सामान्य विधि के अधीन नियम यह था कि यदि वादी द्वारा संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करके उनमें से किसी एक से नुकसानी की पूरी रकम वसूल की जा चुकी है तो वह व्यक्ति अपने सह अपकृत्यकर्ताओं से उस रकम का कोई भी भाग वसूल नहीं कर सकता था। यह नियम मेरीवेदर बनाम निकल के प्रकरण वाद में प्रतिपादित किया गया था।

→ विधि सुधार अधिनियम 1935 ने मेरीवेदर बनाम निकल में प्रतिपादित नियम को समाप्त कर दिया है। यह अधिनियम यह उपबन्धित करता है कि यदि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक से नुकसानी

की पूरी धनराशि वसूल की जा चुकी थी तो उसे अपने सहअपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध के हुकलानी की धनराशि के परस्पर अंशदान के लिये वाद संस्थित करने का हक होगा।

⇒ सिविल लायबिलिटी (कान्ट्रीब्यूशन) एक्ट, 1978

द्वारा इंग्लैण्ड में इससे सम्बन्धित विधि को सुनिश्चित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार अंशदान के रूप में वसूल की जाने वाली रकम वह होगी जो न्यायालय द्वारा क्षति को ध्यान में रखते हुए उचित पायी जाये।

भारतीय विधि :-

भारत में इंग्लैण्ड की भाँति विधि-सुधार अधिनियम 1935 और सिविल लायबिलिटी (कान्ट्रीब्यूशन) एक्ट 1978 जैसे अधिनियम नहीं पारित किये गये हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या मेटीकेट V/S निकसन में प्रतिपादित नियम भारत में लागू होगा या सिविल सुधार अधिनियम में स्थापित नियम लागू होगा? इस सम्बन्ध में भारतीय न्यायालयों में मतैक्य नहीं है। नागपुर, कलकत्ता तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में स्पष्ट रूप से यह मतव्यक्त

PAGE NO.:
DATE: / /

किया है कि यह नियम भारत में लागू नहीं होता है।

Case.

खुशहालराव बनाम बापूराव गनपतराव :-

के मामले न्यायालय ने यह निर्णय दिया है मेरीवेदर के मामले में प्रतिपादित नियम नहीं लागू होता है और वादी को अपने सहभागी-कर्ताओं से हुकसानी की धनराशि के बराबर अंशदान का अधिकार है।

धरनीधर बनाम चतुर्भोर :-

के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उक्त मत की पुष्टि की है। न्यायाधीश वलीउल्लाह ने मेरीवेदर वाद के नियम की आलोचना करते हुए कहा है कि - " अंशदान का नियम न्याय संगतता के सिद्धान्त पर आधारित है।